प्रारूप—30.2

परियोजना का नामः— होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी,————

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,———

उपखण्ड.............................परिक्षेत्र क अन्तर्गत........0.165..........(शून्य) हे0 आरक्षित वन भूमि,0.647......हे0 सिविल एवं सोयम ~~वन भूमि~~..............30 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.812 हे0 वन भूमि) का— जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स ———प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों मी मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर..................) की दिनांक 13.8.18............को सम्पन्न बैठक की कर्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों मी मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 क अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मायादत्त जोशी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री मायादत्त जोशी	उपजिलाधिकारी	[signature]	अध्यक्षक [signature]
2—	श्री प्र0 डे0 बहुगुणा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	गढ़वाल	सदस्य
3—	श्री विनोद कुमार (अधिकारी)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	[signature]	सदस्य / सचिव
4—	श्रीमती लक्ष्मी देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	लक्ष्मी देवी	सदस्य

लक्ष्मी देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत श्रीकोट (02) पौड़ी गढ़वाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

...............................परियोजना हेतु 0.812 हे0 वन भूमि वन पंचायत .... कमाण्डेंट जिला प्रशिक्षण केन्द्र ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसाा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी..................द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 क प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम. 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड...............................परिक्षेत्र के अन्तर्गत ...... कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र ....परियोजना के निर्माण हेतु 0.812.........हे0 वन भूमि श्रीकोट.......प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature] जिलाधिकारी

[signature] 18.8.18

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील श्रीनगर.......................
जनपद पौड़ी.......................

उपजिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल...................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature] 18.8.18

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.......................
जनपद.......................

उपजिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल

[signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वन प्रभाग
पौड़ी

67

Dated 30-09-2018

Deputy Commissioner Chairman
District Level committe

IT is further Certified that Minutes Of Meeting Of Construction of homeguards Parade Ground Distrct Training Center homeguards Srinegar Srikot Ganganali Badrinath Road ( ) regarding FRA is as following

Sl. no		Remarks
(a)	The complete process of identification and Settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.812 heetares area proposed for diversion. A coppy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Sub Division Level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes coppy of Record attachment as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facillties managed by the government as under required Section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been consent to it.	Yes coppy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and others traditional forest Dweller. No Objection certificate concerned villages regarding construction of motor road is attached.
(e)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes coppy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and others traditional forest Dwellers.

सदस्य जिला पंचायत
(भूपेन्द्र लाल)
वार्ड नं (2) टकोली, सुराल गांव
वि०ख० किर्तिनगर
Member District Bord
Pauri Garhwal

District Social WelFare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

उप वन संरक्षक
Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

Commandant
District Training Center
Homeguards Srinegar Srikot
Pauri Garhwal

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल